एस डी ओ/ रीडर

25/6 [illegible]	पत्रावली [illegible] कोर्ट [illegible] इन्दौर से पेश हुई [illegible] उपस्थित। आदेश का पालन [illegible] किया गया है। निर्णय पुस्तिका से अभिलेख किया गया। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] से [illegible] [illegible] जीवन [illegible] हो। [illegible]	[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	प्रा0पत्र निर्णय दिनांक
259 / 12	10.10.2012	04-02-2015

उनवान

1. सुबेसिंह पुत्र हेतराम जाति अहीर ग्राम खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

वादी / अप्रार्थी

बनाम

1. मुन्नीबाई पत्नी दीवानचन्द
2. गुलजार पुत्र दीवानचन्द
3. सोमनाथ पुत्र दीवानचन्द जाति खत्री निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर
4. उप–पंजियक कोटकासिम जिला अलवर
5. सरकार जर्ये तहसीलदार कोटकासिम

प्रतिवादीगण / प्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी व आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दीवानी

उपस्थितः–

1. श्री नरहरि व्यास, प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 3
2. श्री रामफल यादव, अधिवक्ता वादी / अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 3 ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व दफा 151 जाप्ता दीवानी इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि दावा दायरी से काफी समय पूर्व प्रतिवादनी मुन्नीबाई पत्नी दीवान चन्द कोम खत्री निवासी मिर्जापुर फौत हो चुकी है। जिसकी फौतीदगी की जानकारी वादी को प्रतिवादीनी मुन्नी के फौत होने के दिन से रही है। वादी द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद दायर किया गया है। जो वाद मृतक व्यक्ति के विरूद्ध दायर करने के कारण नलिटि है एवं वाद बार्ड बाई लॉ है। ऐसी सूरत में वाद वादी नलिटि होने से बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी वादी खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

1

Scanned by CamScanner

प्रार्थनापत्र की नकल अप्रार्थी/वादी वकील को दी गई।

अप्रार्थी वादी वकील ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया कि मुन्नीबाई के फौत होने की वादी/अप्रार्थी को जानकारी नहीं रही स्वयं सोमनाथ ने ही दिनांक 13.09.2013 को वादी से यह बतलाया कि मेरी माता मुन्नीबाई गुजर गई है और मुन्नीबाई के मैं व मेरा भाई गुलजार ही दो वारिस है। जिस बाबत उसी दिन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान में पेश कर दिया था और मुन्नीबाई के वारिसान प्रतिवादी 2 व 3 पत्रावली पर वाद दायरी के दिन से ही मौजूद है। यदि इनके अलावा और कोई वारिस हो तो सोमनाथ व गुलजार ही बता सकेंगे। वाद सही तथ्यों पर आधारित है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार सम्पूर्ण जांच व साक्ष्य के आधार पर फैसला होना चाहिए। वादी आराजी मुतदाविया का बोना फाईड पर्चेजर और प्रतिवादी अप्रार्थी के पिता दीवानचन्द से ही जर्ये बयनामा यह आराजी खरीद की है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस प्रार्थनापत्र सुनी गयी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि दावा दायरी से पूर्व प्रतिवादनी मुन्नीबाई पत्नी दीवान चन्द कोम खत्री निवासी निर्जापुर फौत हो चुकी थी। जिसकी जानकारी वादी को प्रतिवादीनी मुन्नी के फौत होने के दिन से रही है। वादी द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद दायर किया गया है। जो वाद मृतक व्यक्ति के विरूद्ध दायर करने के कारण आरम्भ से ही नलिटि है एवं वाद बार्ड बाई लॉ है। ऐसी सूरत में वाद वादी नलिटि होने से बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी वादी खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मुन्नीबाई के फौत होने की वादी/अप्रार्थी को जानकारी नहीं रही स्वयं सोमनाथ ने ही दिनांक 13.09.2013 को वादी को बतलाया कि मेरी माता मुन्नीबाई गुजर गई है और मुन्नीबाई के मैं व मेरा भाई गुलजार ही दो वारिस है। जिस बाबत उसी दिन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान में पेश कर दिया था और मुन्नीबाई के वारिसान प्रतिवादी 2 व 3 पत्रावली पर वाद दायरी के दिन से ही मौजूद है। यदि इनके अलावा और कोई वारिस हो तो सोमनाथ व गुलजार ही बता सकेंगे। वाद सही तथ्यों पर आधारित है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार सम्पूर्ण जांच व साक्ष्य के आधार पर फैसला होना चाहिए। वादी आराजी मुतदाविया का बोना फाईड पर्चेजर है। प्रतिवादी/ अप्रार्थी के पिता दीवानचन्द से ही जर्ये बयनामा विवादित आराजी खरीदी है। निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

मेरे द्वारा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से पाया कि मुन्नीबाई के वारिस दावा दायरी के समय से पक्षकार प्रतिवादी 2, 3 है। जो कि मुन्नीबाई की फौतीदगी के बाद विधिक वारिसान है। प्रतिवादी 2, 3 के अलावा अन्य किसी वारिसान के होने का प्रार्थी/प्रतिवादी 3 ने अपने प्रार्थनापत्र में जिक्र भी नहीं किया है। जिससे की उसके अधिकारों का वाद के विचारण पर प्रभाव पड़ता हो वादी द्वारा प्रतिवादी 1 का नाम वादपत्र से हजफ करने का प्रार्थनापत्र प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 पूर्व में ही न्यायालय हाजा में पेश किया है। यह दोनों प्रार्थनापत्र प्रतिवादी एक की फौतीदगी के विषय पर विचारण के है। जिनमें विचारोपरान्त मेरे मत से मुन्नीबाई के विधिक वारिसान दावा दायरी से ही रिकॉर्ड पर मौजूद होने से वादपत्र का कोई तथ्य प्रभावित नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी 3 का प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज योग्य है व प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 को स्वीकार किया जान उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज किया जाता व प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 स्वीकार किया जाता है। दोनों प्रार्थनापत्र नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद पत्रावली किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04-02-2015 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner